


हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"ख" क्षेत्र
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय /व्यक्ति
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	100%
3.	हिन्दी में टिप्पण	50%
4.	हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	60%
5.	हिन्दी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	70%
6.	हिन्दी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	55%
7.	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिन्दी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%

10.	कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%
11.	वैबसाइट द्विभाषी हो	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि कर प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%
13.	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
14.	राजभाषा संबंधी बैठक - राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिन्दी अनुवाद	100%

2. हिन्दी पत्रिका

हिन्दी पत्रिका "किरण" का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाता है।


 13/02/2020
 राजभाषा अधिकारी
 राजभाषा अनुभाग